

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प लाखोला

पीठासीन अधिकारी— राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 23/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट
अनवान

1. जगदीशचंद्र पिता मथरालाल असावा निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता मोती लौहार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
2. कवरलाल पिता रामकुवर बहडिया निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-12.06.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम लाखोला पटवार क्षेत्र लाखोला तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की खाता संख्या 177 पर स्थित आराजी नम्बर 993 रकबा 0.52 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया जिनमें से विपक्षी संख्या 01 उपस्थित जिसके द्वारा पत्थरगढी की जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाखोला पटवार क्षेत्र लाखोला तहसील, सहाड़ा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की खाता संख्या 177 पर स्थित आराजी नम्बर 993 रकबा 0.52 है0 भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प लाखोला में सुनाया गया।



(राजलक्ष्मी गहलोत)
उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)